

(M)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल  
कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म०प्र०)

निगरानी 807-111-15



₹. 20/-

- 21  
16.1.15
- 1- विजय उर्फ राधा साकेत तनय स्व० श्री झूलेराम साकेत उम्र 37 वर्ष,
  - 2- प्रमोद साकेत तनय स्व० हरछाठी साकेत उम्र 32 वर्ष,
  - 3- कोदू साकेत तनय स्व० श्री मिन्ना साकेत उम्र 53 वर्ष, सभी निवासी ग्राम-अनन्तपुर, पटवारी हल्का-बोदा, थाना-विश्वविद्यालय, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र०

---निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- राधा वल्लभ गुप्ता तनय स्व० मानिकचन्द्र गुप्ता उम्र लगभग 45 वर्ष,
- 2- शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा म०प्र०

--- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक 108/अपील/13-14 पारित आदेश दिनांक 08-12-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

श्री. राजश्री परेली  
द्वारा आज दिनांक 16.01.15 को  
प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक 4386  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 15 को प्राप्त

बल्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य


- अ- यह कि आराजी खसरा क्रमांक-186 रकवा 0.09ए० स्थित ग्राम-अनन्तपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म०प्र० की भूमि आवेदकगण की पैत्रिक भूमि है। जिसमें सभी आवेदकगण 100 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.307-III/15

जिला-रीवा

विजय उर्फ कोंधा/राधा बल्लभ गुप्ता

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	